सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र, 1937 (श०)

संख्या 652   राँची, गुरुवार

3 सितम्बर, 2015 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

3 सितम्बर, 2015

संख्या- 9/चि०महा०-07-11/2015-159 (9)--झारखण्ड राज्य के तीन चिकित्सा महाविद्यालयों रिम्स, राँची, पी०एम०सी०एच0, धनबाद एवं एम०जी०एम०सी०एच०, जमशेदपुर के शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों को भरने के निमित्त मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई है:-

(i) अहर्ता प्राप्त सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की सेवा अनुबंध पर प्राप्त करने हेतु उम्रसीमा 70 वर्ष करने एवं बिहार सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय, पेंशन के अतिरिक्त दी जाय। इस निमित्त वित्त विभागीय संकल्प संख्या-4569 दिनांक 5 जुलाई, 2002, संकल्प संख्या-965 दिनांक 25 मार्च, 09 एवं संकल्प संख्या-995 दिनांक 20 अप्रैल, 2013 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(ii) पूर्व की भांति रिक्त पदों को भरने हेतु निर्धारित अहर्ता पूर्ण करने पर Notional Promotion पूर्व की तिथि से दी जाय ताकि पूर्व की तिथि से अवधि की गणना कर एक साथ आगे की प्रोन्नति दी जा सके। यह छुट मात्र एक बार के लिए दी जाय। इस निमित्त बिहार चिकित्सा सेवा संवर्ग

एवं इसके सम्वर्गीय पदों पर भर्ती नियमावली 1997 के नियम-8 (ii) (क) (ख) (घ) को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(iii) चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक संवर्ग के पदों की तकनीकी विशिष्टता एवं उन पदों पर विज्ञापन प्रकाशित कराने अथवा प्रोन्नति के समय पद रिक्त रहने के बावजूद अहर्ता प्राप्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी के नहीं रहने के कारण पद रिक्त रह जा रहा है। पद रिक्त रहने के कारण एम०सी०आई० द्वारा बढ़े हुए सीट को कम कर दिया गया है एवं हमेशा मान्यता समाप्त किये जाने की भी आशंका बनी रहती है। ''झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001'' की धारा (3) के अनुसार यह अधिनियम निम्नलिखित में लागू नहीं होगा:-

(क) केन्द्र सरकार के अधीन कोई नियोजन;

(ख) निजी क्षेत्र में कोई नियोजन;

(ग) घरेलू सेवाओं में कोई नियोजन;

(घ) सेवारत सरकारी सेवक का मृत्यु पर अनुकम्पा के आधार पर की गई नियुक्ति; और

(ङ) ऐसे अन्य पद जिसे राज्य सरकार, आदेष द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिस्ट करे, परन्तु यह कि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेष किये जाने के बाद तुरन्त राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल चैदह दिनों के लिए सत्र में हो, रखा जाएगा जो एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में पड़ सकते हैं।

उक्त पदों की तकनीकी विशिष्टता तथा अर्हता प्राप्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी के उपलब्ध नहीं होने को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त अधिनियम की धारा (3)(ङ) के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक संवर्ग के पदों की नियुक्ति/प्रोन्नति में यह अधिनियम लागू नहीं होगा।

(iv) वरीय रेजिडेंट एवं ट्यूटर के रिक्त पदों को walk-in-interview के माध्यम से प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नियुक्त किया जाय। इस समिति में निदेशक, रिम्स, अधीक्षक, रिम्स, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, प्राचार्य, पी०एम०सी०एच०, धनबाद एवं एम०जी०एम०सी०एच०, जमशेदपुर, अधीक्षक, पी०एम०सी०एच०, धनबाद एवं एम०जी०एम०सी०एच०, जमशेदपुर, कार्मिक विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी तथा इस प्रशाखा के प्रभारी संयुक्त सचिव/उप सचिव सदस्य होंगे। इस निमित्त ''बिहार चिकित्सा सेवा संवर्ग एवं इसके सम्वर्गीय पदों पर भर्ती नियमावली 1997 के नियम-8 (i) को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(V) प्राध्यापक के रिक्त पदों को सह-प्राध्यापक के पद से प्रोन्नति द्वारा भरी जाय। प्रोन्नति के उपरान्त रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति की जाय। इस निमित्त बिहार चिकित्सा सेवा संवर्ग एवं इसके सम्वर्गीय पदों पर भर्ती नियमावली 1997 के नियम-8 (ii) (घ) को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
के० विद्यासागर,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 652—50 ।